राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ जिला चूरू (राज.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान भानीसर तेजसिंहोतान

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 124 / 2025

निर्णय दिनांक : 03.07.2025

दायर दिनांक – 03.07.2025

1. गजानन्द पुत्र गुलाबचन्द जाति मेघवाल निवारी ग्राम छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू

...............प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

...............अप्रार्थी

प्रार्थना–पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

–:निर्णय:–

संक्षिप्त में प्रार्थना–पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान भानीसर तेजसिंहोतान में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। रोही ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 56 के खसरा संख्या 363 तादादी 2.7186 है0, ख0नं0 6 तादादी 2.3772 है0 829 / 4 तादादी 4.0464 है0 872 / 74 तादादी 0.5943 है0 कुल खसरे 4 कुल रकबा 9.7365 है0 हिस्सा 677 / 15400 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज स्थित है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजानन्द पुत्र गुलाबचन्द दर्ज है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम गजानन्द मेघवाल पुत्र गुलाबचन्द है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड आदि दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम गजानन्द मेघवाल अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड रहा है जिसके कारण प्रार्थी की खातेदारी भूमि में प्रार्थी का नाम दुरस्त करवाना प्रार्थी के लिए आवश्यक है।

प्रार्थी का खेत रोही ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के दस्तोवजों यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम गजानन्द अंकित है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में राजानन्द अंकित है। अतः तहसीलदार सुजानगढ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजानन्द की बजाय गजानन्द दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पैनकार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम गजानन्द मेघवाल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

-:आदेश:-

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही आबसर के खाता संख्या नया 56 के खसरा संख्या 363 तादादी 2.7186 है0, ख0नं0 6 तादादी 2.3772 है0 829/4 तादादी 4.0464 है0 872/74 तादादी 0.5943 है0 कुल खसरे 4 कुल रकबा 9.7365 है0 में दर्ज खातेदार का नाम राजानन्द के स्थान पर गजानन्द दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 03.07.2025 को पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान भानीसर तेजसिंहोतान में टंकित करवाया जाकर सरेआम सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़